रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264775
CG-DL-E-18072025-264775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3194] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947
No. 3194] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2025

का.आ. 3264(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा देता है;

और, भारत सरकार (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा जाएगा) के उच्चतर शिक्षा विभाग (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त विभाग कहा जाएगा) द्वारा पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त योजना कहा जाएगा) का संचालन किया जा रहा है;

और, सभी मेधावी विद्यार्थियों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण; ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजना के अधीन प्रसुविधा के लिए पात्र नहीं हैं, उनके लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान; और 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण हेतु ऋण राशि के 75 प्रतिशत का ऋण गारंटी कवर (इसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा जाएगा) ऐसे मेधावी छात्रों को दिया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की सूची के अनुसार भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश लेते हैं और उक्त योजना तथा उसके संबंध में जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों के अधीन प्रसुविधा प्राप्त (इसे इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) करने के इच्छुक हैं;

और, उक्त योजना के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

और, उक्त विभाग इच्छुक है कि उक्त सरकार, उक्त प्रसुविधा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में हिताधिकारी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे हिताधिकारी प्रमाणीकरण या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा रखता है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है , अर्थात्:—

1. (1) उक्त योजना के अधीन उक्त प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन करवाना होगा;

(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधो के अनुसार, उक्त विभाग ऐसे हिताधिकारी का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण का अद्यतन करेगा:

परंतु ऐसे हिताधिकारी को आधार संख्या समनुदेशित होने तक वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या यदि ऐसी पहचान के लिए उक्त विभाग द्वारा प्रदान किया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर उक्त प्रसुविधा प्राप्त कर सकता है, अर्थात:—

(क) 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के लिए, जिसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है,—

(i) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है; और

(ii) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह साबित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात्:—

(क) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया है;

(ख) भारतीय पासपोर्ट;

(ग) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकपत्र;

(घ) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय)बालको की देखरेख और संरक्षण (अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(ङ) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(iii) माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ अपने संबंध को साबित करने के लिए लाभार्थी की तस्वीर वाला निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:—

(क) राशन कार्ड;

(ख) किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र;

(ग) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(घ) भारतीय पासपोर्ट;

(ङ) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकपत्र;

(च) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(छ) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(ज) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय बालको) की देखभाल और संरक्षणअधिनियम (, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम:नि-, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के

अधीन बनाए गए और लागू किये गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(झ) (क) कोई अन्य दस्तावेज जिसे उक्त विभाग निर्दिष्ट करे;

(ख) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, —

(i) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है; तथा

(ii) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात: —

(क) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ख) राशन कार्ड;

(ग) किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र;

(घ) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(ङ) भारतीय पासपोर्ट;

(च) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकपत्र;

(छ) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(ज) दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र;

(झ) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(ञ) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(ञ) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में, —

I. यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

II. यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;

III. यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

IV. यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट

के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(ट) ऐसे हिताधिकारी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय बालको) की देखभाल और संरक्षणअधिनियम (, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम:नि-, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए और लागू किये गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(ठ) जैसा कि उक्त विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(4) उक्त विभाग द्वारा इस संबंध में पदाभिहित अधिकारी खंड (3) के अधीन दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को सिद्ध करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा, —

(क) मायआधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि नामांकन आईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, इस प्रयोजनार्थ वह किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. हिताधिकारियो को उक्त प्रसुविधाओ को सुविधाजनक ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि हिताधिकारियो को उक्त योजना के अधीन आधार संख्या की अपेक्षाओ के संबंध में हिताधिकारियो को जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी हिताधिकारी के आधार नंबर का अधिप्रमाणन किसी भी बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया गया है और वह किन्ही कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) यदि अधिप्रमाणन का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन या वन टाइम पिन-आधारित अधिप्रमाणन का कोई अन्य तरीका, जैसा भी साध्य और ग्रह्य हो, प्रस्तावित किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां अधिप्रमाणन के बायोमेट्रिक-आधारित या वन टाइम पिन-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज यथास्थिति पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के पश्चात, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर अधीन प्रसुविधा प्रदान की जा सकती है, अर्थात:—

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके mAadhaar ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है), आधार क्यूआर स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके mAadhaar ऐप का उपयोग सुलभ है),

की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

4. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के होते हुए भी,—

(क) इस योजना के तहत अधीन ऐसे किसी भी बालक को प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा—

(i) जो अधिप्रमाणन के दौरान अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल है; या

(ii) नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा ऐसे बालक को, उसके माता-पिता या विधिक

अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके, उसकी पहचान सत्यापित करके, पैराग्राफ 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से अधीन प्रसुविधा दी जाएगी; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जाती है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक हिताधिकारी उक्त योजना के अधीन मिलने वाली प्रसुविधा से वंचित न रहें, यह विभाग भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण मिशन के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 17-17/2018-यू.5-भाग (1)]
पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2025

S.O. 3264(E).—Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Department of Higher Education (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the PM-Vidyalaxmi Scheme (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas, collateral-free and guarantor-free education loans to all meritorious students; for students with annual family income of up to Rs. 8 lakhs and who are not eligible for benefits under any other government scholarship or interest subvention schemes, a 3 percent. interest subvention on loans up to Rs. 10 lakhs; and a credit guarantee cover of 75 percent. of loan amount for education loans upto Rs. 7.5 lakhs (hereinafter referred to as the benefits) are given to meritorious students who get admission on their own merit to Quality Higher Education Institutions in India as per the list of Quality Higher Education Institutions provided by Department of Higher Education each year and willing to avail benefit (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department for such identification supports electronic obtaining of information proving the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

(a) for a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned, -

(i) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and

(ii) any one of the following documents to prove that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely: -

(A) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(B) Indian Passport;

(C) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(D) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(E) In respect of a foreign national, -

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Officer;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(iii) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to prove his relationship with the parent or legal guardian, namely: -

(A) Ration card;

(B) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(C) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(D) Indian passport;

(E) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(F) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintended, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(G) in respect of a foreign national, —

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card:

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(H) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(I) (a) any other document as the said Department may specify;

(b) for beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned, —

(i) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and

(ii) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —

(A) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(B) Ration card;

(C) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(D) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(E) Indian passport;

(F) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(G) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(H) Disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(I) Driving licence issued in India;

(J) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(K) In respect of a foreign national, —

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(L) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to prove legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(M) any other document as the said Department may specify.

(4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information proving the contents thereof under clause (3), —

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, he may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin-based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or one-time pin-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of

India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following, namely:—

(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps;

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority of India.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, —

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum number D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17-17/2018-U.5-Part (1)]
PURNENDU KISHORE BANERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.18 11:16:13 +05'30'